Role of State in Education of Tribal Community: With special reference to Bharia Tribes in Patalkot Region (M.P)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में
पी–एच० डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध सारांश

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करूणा
ESTABLISHED 1996

शोध निर्देशक
प्रो० सार्तिक बाघ
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोधार्थिनी
दीप्ति सिंह
नामांकन संख्याः 084 / 12
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025
2018

शोध सारांश

वर्ष 2017 "ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" यानी बदलते भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा "सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा" के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की एक उल्लेखनीय पहल हैं, जो शिक्षा को उपलब्ध, सुलभ, सस्ती और जवाबदेह बनाने पर बल देती हैं। मानव समुदाय के विकास का मूल साधन शिक्षा है अतः किसी भी राष्ट्र को नई दिशा दिखाने तथा समाज का उत्थान करने में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बाँटा गया हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को 'प्राथमिक शिक्षा' कहा जाता हैं। जो कि शिक्षा की नींव होती हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होती है।

वर्तमान में लगभग सभी देशों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू हैं। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने अर्थात् जन शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए ही यह प्रावधान रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था के प्राथमिक स्तर पर प्राचीन काल से ही देश में विभिन्नताएं, असमानताऐं दृष्टिगोचर हो रही हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति एक निश्चित शिक्षा नीति, निश्चित शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होती है। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिये निर्धारित की गयी है, जो कक्षा एक से आठ तक संचालित की जाती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। प्राथमिक शिक्षा, देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने तथा उनके चरित्र निर्माण करने में अत्यंत सहायक होती है।

अनुच्छेद 21(क) – "राज्य छः से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।"

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' अधिनियम लागू किया गया। जो प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह अधिनियम 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और जिसे 01 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। निःशुल्क से तात्पर्य किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस/शुल्क/व्यय देय नहीं होगा, जो कि उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो। अनिवार्य से तात्पर्य विधेयक के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शत–प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है।

अनुच्छेद 45 – "राज्य का यह प्रयास होगा कि इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष की अवधि में सब बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये।"

स्वतंत्रता के पश्चात् जहाँ एक तरफ विश्व परिदृश्य बदलाव से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान की 45वीं अनुसूची में नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत नैतिक रूप से यह जिम्मेदारी स्वीकार की कि 10 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के आयु–वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। परन्तु सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद राज्य अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाया।

हमें आज़ाद हुए सात दशक हो चुके हैं और इन वर्षों में देश ने बहुत से सकारात्मक परिवर्तन के साथ–साथ प्रगति के अनेक चरणों को भी छुआ है। जहाँ शिक्षा को आधुनिकता और लोकतंत्र का आधार स्तम्भ कहा जाता हैं। इस दृष्टि से यदि भारत को अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करते हुये आगे बढ़ना है, तो यह आवश्यक है कि देश के सभी वर्गो को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाये।

इस संदर्भ में भारत में एक वर्ग ऐसा भी है, जो आज के प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक क्षेत्र में दयनीय रूप से पिछड़ा हुआ है और वह वर्ग है 'अनुसूचित जनजाति'। ये समुदाय, आज भी अनेक प्रकार की असुविधाओं, सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक वंचनाओं से पीड़ित हैं। विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ हैं। ये आदिवासी समूह, सुंदूर वनांचलों में निवास करने वाली, पृथक, विकास के पहुँच से दूर, अपने संस्कृति और समाज में रहने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ हैं। इनका यह अलगावस्वरूप उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जिसका मुख्य कारण इनमें अज्ञानता हैं। ये केवल प्रकृतिवादी होते है, अतः इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षित करना अनिवार्य हैं।

भारत में, आदिवासी शिक्षा और आदिवासी विकास, नीतिपरख है। फिर भी आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोच और नई दिशा में नए सिरे से प्रयास की जरूरत है, जिसमें नई नीति और प्रशासनिक पहलूओं को आदिवासी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि सामान्य विकास प्रक्रिया द्वारा आदिवासी समुदायों को संविधान के प्रावधान के द्वारा अधिसूचित किया गया है व सरकार इनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम व योजनाएँ

क्रियान्वित कर रही हैं। विभिन्न शासकीय योजनाकारों द्वारा आदिवासियों की समस्याओं से निपटने व अन्य सुविधाएँ देने हेतु शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी आदिवासी समुदायों में शिक्षा का विकास कुछ हद तक दृष्टिगोचर है, चूँकि शिक्षा ही जनजातियों में समृद्धि, सफलता और सुरक्षा का निर्धारण करेगा, अतः शिक्षा जनजातियों में एकीकृत विकास का आधार हो सकता है।

यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि आज तक शिक्षा सबके लिए समान स्तर पर उपलब्ध नहीं रही। इसका व्यापक जन हित में उपयोग नहीं हो पाया। विशेषाधिकार के तौर पर दुरुपयोग ज्यादा किया गया। ऐसे में शिक्षा का यह बुनियादी अधिकार जनजाति समुदायों की विकासयात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

वे आदिम जातियॉ जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है, अनुसूचित जनजाति कहलाती है। अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केन्द शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों या जनजाति समुदायों या इन समुदायों के एक भाग को उसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है।

भारत सरकार के अधिनियम, 1935 में "पिछड़ी जनजातियों" का संदर्भ है तथा भारत सरकार के आदेश 1936 की तेरहवीं अनुसूची के अन्तर्गत असम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, मद्रास तथा बम्बई की कुछ जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन 75 पी०वी०टी०जी० की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग छह राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडू में रहता हैं। जनजातियों में पी०वी०टी०जी० पर उनकी संवेदनशीलता के कारण मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

भारत के मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या बहुतायत में पाई जाती हैं। ये जनजातीय समूह प्रदेश के अनेक अंचलों जैसे मालवा, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड व महाकौशल में निवास करती हैं। इसीलिए मध्यप्रदेश को ''जनजातियों का घौंसला'' कहा जाता हैं। राज्य में हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का हैं। मध्यप्रदेश में कुल 43 जनजातियाँ निवासरत हैं जिनमें से तीन बैगा, भारिया और सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित हैं।

मध्यप्रदेश में जनजाति समुदाय अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं और वे शिक्षा के अवसरों की मांग भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा उनके लिए छात्रावृत्तियों या आरक्षित प्रवेश या छात्राावास सुविधाओं की नीतियों को अपनाया भी जा रहा है। परंतु आधुनिक स्कूलों की शिक्षा प्रणाली वहां सफल नहीं हो पा रही हैं। एक तो नितान्त गरीबी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, दूसरे अक्षर ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम जनजातियों के बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाते।

राज्य में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक समस्याएं अनेक आयाम वाली हैं। ये मोटे तौर पर दो स्त्रोतों से प्रभावित कहें जा सकते है– एक, शिक्षा में उनका नमांकन के लिए पर्याप्त प्रेरको और परिस्थितियों का न होना और दूसरा, पराम्परागत दृष्टि से उनकी सामाजिक स्थिति का बहुत निम्न होना। जब तक इन दोनों स्त्रोतो को काटने के प्रयास नहीं किये जाएंगे, तब तक मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की समस्याएं बनी ही रहेंगी। स्पष्ट है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि में भी परिवर्तन करना होगा। मध्यप्रदेश में जनजाति समुदाय की हालत सुधारने व उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी ताकि जनजाति समुदाय को अवसर की अधिकाधिक समानता प्राप्त हो सकें। अनुसूचित जनजाति के जो परिवार शहर में बसे हुये हैं, उनमें शिक्षा का प्रतिशत काफी अच्छा है, लेकिन जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है उनके शिक्षा का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राज्य द्वारा शिक्षा में निवेश को राष्ट्र की मानवीय पूँजी के रुप में स्वीकार किया जा चुका हैं। समकालीन विश्व में प्रत्येक राज्य, चाहे वह किसी भी शासन–प्रणाली अथवा अर्थ–व्यवस्था को पोषित करता हो, अपने नागरिकों की शिक्षा के दायित्व को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र सघं द्वारा 1989 में जारी बाल अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि– सभी राज्य बालाकों के शिक्षा के अधिकार का आदर करेगें और इस दिशा में प्रगति हेतु सभी को अवसरों की समानता देते हुए निम्नालिखित न्यूनतम व्यवस्थाएँ करेंगें–

1. राज्य सभी बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवायेंगें,
2. राज्य माध्यमिक शिक्षा के सामान्य एवं व्यवसायिक स्वरुपों को प्रोत्साहन देगें, इसे सभी के लिए सुलभ तथा प्राप्त बनायेगे, जरुरतमंदों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा आर्थिक सहायता की व्यवस्था करेंगें,
3. राज्य अपनी क्षमताओं एवं साधनों के अनुरुप उच्च शिक्षा उपलब्ध करवायेगें,
4. राज्य सभी बालकों को शिक्षा तथा व्यवसायिक सूचनाएँ सुलभता से उपलब्ध करवायेंगे तथा
5. राज्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन देगें तथा अपूर्ण शिक्षा की दर में कमी लायेंगें।

भारत के सविधान में शिक्षा का दायित्व राज्य को सौंपा गया है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो विद्वानों ने यह अनुभव किया कि शिक्षा देश के सभी प्रकार के विकास की आधारशिला है। इसलिए संविधान के भाग–3, अनुच्छेद 45 में, राज्यों को जाति, लिगं, धर्म, भाषा, समुदाय के आधार पर बिना किसी प्रकार का भदे–भाव के सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की नैतिक जिम्मेदारी राज्यों को प्रदान की गई थी। (वर्तमान में अनुच्छेद 21 क

में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है।) लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही उपेक्षित है। इसके तहत् 06–14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का दायित्व हो गया है।

भारत मे निवास करने वाले कुल लगभग 7 करोड़ आदिवासियों का 25 प्रतिशत हिस्सा अविभाजित मध्यप्रदेश में रहता था। विभाजन के पश्चात् मध्यप्रदेश में लगभग 19 फीसदी आबादी आदिवासियों की है। मध्यप्रदेश में अनेक जनजातीय निवास करती हैं। इन जनजातियों पर अधिक से अधिक शोध अध्ययन भी हुए हैं। परन्तु आवश्यकता की दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश की छिन्दवाड़ा जिले के पातालकोट नामक भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति की शिक्षा विकास समस्याओं एवं उनके संबंधों में बनायी गई शैक्षणिक नीतियों के क्रियान्वयन को उजागर करने का एक प्रयास हैं। छिंदवाड़ा जिला मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का हिस्सा है छिंदवाड़ा जिले का मूल रूप जिले का स्थानीय एक लंबे वृक्ष के नाम जो की छिंद से प्राप्त किया गया हैं। तामिया विकासखण्ड छिंदवाडा जिले के अन्तर्गत पातालकोट क्षेत्र के 12 ग्रामों (ढानों) में भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। पातालकोट की नैसर्गिक संरचना 1200 से 1500 फिट गहराई लिये हुये विस्तृत घाटियों का मनोरम भूभाग है जो सतपुडा पर्वत की परतदार ऊंची किला नुमा श्रंखलाओं से घिरा हुआ हैं। सम्पूर्ण पातालकोट को भौगोलिक क्षेत्रफल 79 वर्ग कि०मी० हैं। समुद्र की सतह से इसकी औसत ऊंचाई 3250 से 2750 फिट के बीच है। पातालकोट के समीपवर्ती ग्राम सुखाभांड के निकट सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र सतह से 3754 फिट ऊंची है। पातालकोट घाटी का "कटोरा नुमा आकृति" का स्थल ही भारिया आदिवासियों की आवास स्थली हैं। भौगोलिक दुर्गमता में असाध्य जीवन–यापन कर रहे सभ्यता से कोसो दूर "भारिया" मध्यप्रदेश की एक प्रमुख आदिम जनजाति हैं। मध्यप्रदेश की आदिम जनजाति "भारिया" द्रविड़ समूह की जनजति के सदस्य हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में लगभग ढ़ाई लाख भारिया आदिवासी छिंदवाड़ा, जबलपुर, और बिलासपुर जिले में कृषि संबंधित व्यवसायों में संलग्न होकर (लगभग 35 प्रतिशत जबलपुर में लगभग 10 प्रतिशत छिंदवाड़ा जिले में और शेष 55 प्रतिशत बिलासपुर जिले में) जीवन–यापन कर रहे थे।

मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ की कुल जनसंख्या लगभग 5.51 लाख हैं। यह कुल जनजातीय आबादी का 4.51 प्रतिशत के आसपास हैं। इन जनजातियों के लिए ग्यारह विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। वर्ष 2001 में भारिया जनजाति जनसंख्या कुल 2012 थी। वर्ष 2004 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पातालकोट की जनसंख्या 2786 पाई गयी हैं। पातालकोट घाटी में शिक्षा का स्तर राज्य के अन्य आदिवासी बाहुल्य जिलों की तुलना में

निम्न हैं एवं यहाँ पर राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में शैक्षणिक स्तर में काफी भिन्नताएं हैं। पातालकोट क्षेत्र में बी०आर०सी० कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुल 1,607 छात्र प्राथमिक कक्षा में नामांकित हैं। जिसमें भारिया जनजाति के कुल 1,473 छात्र नामांकित हैं, जबकि अन्य समुदाय के छात्रों का कुल नामांकन 134 हैं। प्राथमिक कक्षा में नामांकन की ये स्थिति इस ओर संकेत करती हैं कि पातालकोट घाटी के विद्यालयों में भारिया जनजाति के सबसे अधिक छात्र नामांकित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इस समुदाय की बाहुल्य जनसंख्या हैं।

शोध प्रश्न -

1. क्या भारिया जनजाति की वर्तमान आर्थिक–सामाजिक स्थिति का एक मात्र कारण अशिक्षा हैं?
2. पातालकोट घाटी के भारिया जनजाति, विकास सम्बन्धी योजना का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं?
3. वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण आज भी भारिया जनजाति अशिक्षित हैं?
4. वे क्या कारण हैं कि पातालकोट घाटी क्षेत्र में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं?
5. वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण भारिया छात्र/छात्राओं में शिक्षा से दूर रहने की प्रवृत्ति हैं?
6. क्या राज्य पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवा रही हैं?
7. वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण पातालकोट घाटी क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने वाली सुविधायें नहीं हैं?

परिकल्पना-

1. भारिया जनजाति की अज्ञानता, निर्धनता, शोषण, गरीबी और पिछड़ेपन का प्रमुख कारण अशिक्षा हैं।
2. भारिया जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी एवं सलाहकारी सस्थांए प्रभावी हो रही हैं।
3. भारिया जनजाति में शैक्षणिक विकास से उनके परम्परागत दृष्टिकोणों के साथ–साथ जीवन स्तर में भी परिवर्तन आया हैं।

शोध पद्धति–

किसी भी विषय के अध्ययन कार्य को सम्पादित करने का सर्वोत्तम तरीका ही शोध प्रविधि कहलाता है। प्रस्तुत शोधकार्य ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, एवं आनुभविक प्रकृति का हैं जिसमें प्रस्तुत अनुसंधान के अन्तर्गत शोध कार्य के सम्पादन में विभिन्न सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग किया गया हैं।

शोध अध्ययन का समग्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के छिड़वाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड पातालकोट क्षेत्र के 10 गाँवों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया बालक–बालिकाओं की शिक्षा में राज्य की भूमिका के अध्ययन को शोध समग्र हेतु चुना गया हैं।

शोध अध्ययन की इकाई – प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्यप्रदेश के तामिया विकासखण्ड पातालकोट क्षेत्र के 10 गाँवों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के 6 से 14 आयु वर्ग के सर्व शिक्षा अभियान के हितग्राही बालक–बालिकाओं को शोध अध्ययन की इकाई हेतु चुना गया हैं।

निर्देशन विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के तामिया विकासखण्ड पातालकोट क्षेत्र के 10 गाँवों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के 6 से 14 आयु वर्ग के सर्व शिक्षा अभियान के हितग्राही बालक–बालिकाओं को शोध अध्ययन हेतु चुना गया, जिसमें छिदवाड़ा जिले की तामिया तहसील का चुनाव किया गया तथा जिसमें पातालकोट क्षेत्र के 10 गाँवों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के 6 से 14 आयु वर्ग के शाला जाने वाले 115 बालक एवं 115 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक (रैंडम) न्यार्दश विधि से किया गया तथा इकाई का चयन करते समय 150 अभिभावकों एवं 10 शिक्षकों का प्रतिनिधि के रूप में चयन किया गया। इस प्रकार कुल 390 बालक–बालिकाओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों का चयन यादृच्छिक (रैंडम) न्यार्दश विधि से किया गया एवं अध्ययन हेतु आँकड़ें एकत्र किये गया।

आँकड़ों का संकलन – निम्नलिखित विधि के द्वारा आँकड़ों का संकलन किया गया।

प्राथमिक आँकड़ें – इस प्रकार के आँकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता द्धारा अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए संकलित किये जाते हैं। ऐसे आँकड़ों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता हैं। वैज्ञानिक अध्ययन का आधार प्राथमिक आँकड़े ही होते हैं। इनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तथा वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से किया जाता हैं। ये उपकरण सर्वेक्षण, प्रेक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अभिवृत्ति, मापनी आदि भी हो सकते हैं। इनका उपयोग अध्ययनकर्ता स्वयं अथवा अन्य क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं की सहायता से अधिकांशतः प्रत्यक्ष रूप से अपनी परिकल्पना के परीक्षण के लिए करता हैं। शोध कार्य में तथ्यों के संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया हैं–

- छात्र/छात्रा साक्षात्कार अनुसूची,
- अभिभावका साक्षात्कार अनुसूची,
- शिक्षका साक्षात्कार अनुसूची,
- अवलोकन।

द्वितीयक आँकड़ें – अध्ययनकर्ता ऐसे आँकड़ों का स्वयं संकलन नहीं करता बल्कि उनका अपनी अनुसंधान समस्या के विश्लेशण तथा विवेचन में उपयोग करता हैं। वास्तव में ऐसे आँकड़े किसी अन्य व्यक्ति, ऐजेन्सी व संस्था द्वारा प्रायः अपने निजी उपयोग के लिए संकलित किये जाते हैं। इससे सम्बन्धित व्यक्ति, एजेन्सी व संस्था का स्वरूप सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा निजी कुछ भी हो सकता हैं। इस प्रकार के आंकड़े विद्धानों व वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये संस्मरण तथा अप्रकाशित प्रतिवेदनों तथा प्रकाशित पत्रिकाओं व पुस्तकों में उपलब्ध रहते हैं।

द्वितीयक समंक के रूप में पत्र–पत्रिकाएं, पुस्तके जनगणना पत्रिका, इटरनेट, सरकारी अभिलेख, शोध प्रबंध तथा सरकारी कार्यलय से प्राप्त शालात्यागी एवं शाला जाने वाले बालक एवं बालिकाओं की सूची एवं गाँव की सूची का प्रयोग किया गया हैं।

तथ्य एकत्रित करने की प्रविधि – तथ्य एकत्रित करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोतों का उपयोग किया गया जिसमें सूची के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन कर साक्षात्कार अनुसूची प्रपत्र का प्रयोग किया गया तथा उत्तरदाता से मिलकर उद्देश्यों से सम्बन्धित जानकारीयाँ व संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर साक्षात्कार अनुसूची भरी गई।

आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण – आकड़ों के विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम साक्षात्कार अनुसूची एवं पायलट परीक्षण का प्रयोग किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर साकेंतिकरण पुस्तिका तैयार की गई, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तरों को दिये गये संकेत के आधार पर उनका मास्टर चार्ट तैयार किया गया। प्रत्येक उत्तर का संकेत के आधार पर योग करते हुए, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए औसत, दर, अनुपात, गुणक, प्रतिशत विधि एवं जॉन क्लार्क के (पूर्वानुमानित) सूत्र का उपयोग किया गया।

अध्यायों का संक्षिप्त परिचय

प्रस्तुत शोध प्रबंध **"Role of State in Education of Tribal Community: With special reference to Bharia Tribes in Patalkot Region (M.P)"** हैं। इस शोध प्रबंध को सात अध्यायों में विभक्त किया गया हैं। इन अध्यायों में भारिया जनजाति समुदाय की प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में राज्य की भूमिका का विस्तारपूर्वक अवलोकन करने का प्रयत्न किया गया हैं साथ ही जनजातीय

समुदाय की शिक्षा में स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात सरकारों की भूमिका का अध्ययन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जनजातीय समुदाय पर प्रभाव तथा शिक्षा से भारिया जनजाति की सामाजिक–आर्थिक विकास का प्रभावित होना संबंधी इत्यादि बिन्दुओं का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रथम अध्याय जो कि शोध कार्य की प्रस्तावना हैं। इस अध्याय में शोधार्थी द्वारा शोध विषय का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया हैं जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जनजाति, अतिसंवेदनशील जनजातीय समूह, प्राथमिक शिक्षा का सामान्य परिचय दिया गया हैं। साथ ही देश में जनजाति समुदाय की प्राथमिक शिक्षा में राज्य के योगदान पर चर्चा की गयी हैं। इसके साथ–साथ शोध कार्य का उद्देश्य, शोध कार्य का महत्व, पूर्व साहित्य की समीक्षा, प्राक्कल्पना, शोध समस्या, शोध प्रविधि, समग्र का चुनाव, चयनित क्षेत्र का परिचय एवं जनसंख्या, तथ्य सकंलन के उपकरण आदि विषयों की विवेचन की गयी हैं।

द्वितीय अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें विश्व, भारत एवं मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण, योजनाएँ, चुनौतियाँ तथा इत्यादि की विधिवत विवेचन की गयी हैं।

तृतीय अध्याय में भारतीय जनजातियों की शिक्षा के स्तर को प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके अर्न्तगत स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात, भारतीय जनजाति शिक्षा पर प्रकाश डाला गया हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों एवं विशेष पिछड़ी जनजाति का प्रजातीय विश्लेषण करते हुये उनकी साक्षरता स्थति का अध्ययन किया गया हैं। जनजातियों के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शैक्षणिक योजनाएँ का अनुसूचित जनजातियों की कार्यशैली पर क्या प्रभाव हुआ, इसका उल्लेख किया गया हैं। तथा वर्तमान भारतीय अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुये भारत में अनुसूचित जनजातियों के बदलते हुए स्थिति को देखते हुए इसके विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना की गयी हैं साथ ही जनजातियों के विकास में सरकार की विशेषताएँ, कारण एवं उसके प्रभावों पर चर्चा भी की गयी हैं।

चतुर्थ अध्याय में मध्यप्रदेश में जनजातियों की शिक्षा के स्तर पर प्रकाश डाला गया हैं। मध्यप्रदेश जनजाति शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करते हुए उसके विभिन्न विकास के स्त्रोतों तथा व्यय के विभिन्न मदों के साथ ही जनजातीय शिक्षा की नीति की विवेचन की गयी हैं। नीति की इस विवेचना में विभिन्न समितियां और आयोगों के प्रतिवेदनों, पंचवर्षीय योजनाओं, जिला योजनाओं सरकारी प्रस्तावों तथा आदेशो को आधार मानकर स्वतंत्रता के पश्चात मध्यप्रदेश में जनजाति शिक्षा के विकास की विवेचना भी की गया हैं।

पंचम अध्याय में मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय बैगा, सहरिया, भारिया की आर्थिक–सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया हैं। साथ ही राज्य सरकार और आदिम जाति कल्याण विभाग की भूमिका की विस्तार से विवेचना की गयी हैं।

षष्टम् अध्याय में मध्यप्रदेश के पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया हैं। पातालकोट घाटी क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं जनसंख्या स्थिति का अध्ययन किया गया हैं। विशेष पिछड़ी भारिया जनजाति की सामाजिक–आर्थिक, व्यवस्थाओं को शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। साथ ही उनकी शिक्षा व्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका की विस्तार से विवेचना करते हुए समंको के सहयोग से मौजूद उपलब्धियों तथा चुनौतियों का अध्ययन किया गया हैं।

सप्तम अध्याय में सभी अध्यायों का निष्कर्ष और सुझाव दिये गये हैं। सम्पूर्ण अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उन्हें संकलित किया गया हैं। और उनके आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को अधिक सक्षम, युक्तिपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक बनाने हेतु सुझाव दिये गये हैं। अंत में शोध की उपयोगिता तथा भावी शोधकार्य हेतु सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन पातालकोट क्षेत्र, मध्यप्रदेश (तामिया विकासखण्ड, छिंदवाड़ा जिले) में निवासरत भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति के बालक–बालिकाओं के विकास एवं उनको शत–प्रतिशत शिक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिए शासन का एक अभियान चलाया जा रहा हैं जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। जो ग्रामीण तथा शहरी प्रत्येक क्षेत्र के साथ–साथ प्रत्येक जाति समुदाय से जुड़ा हैं जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं को शत–प्रतिशत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा हैं, जो कि बालक–बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करता हैं।

इस शोध में भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति के बालक–बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव को देखा गया हैं। इस कार्य हेतु उद्देश्यों एवं उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया हैं जिसमें भारिया जनजाति के शाला जाने वाले एवं शालात्यागी बालक–बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन, बालक–बालिकाओं के व्यक्तित्व पर उनके पारिवारिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन, उनके व्यक्तित्व पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव का अध्ययन इन सभी उद्देश्यों का निर्माण किया गया।

इस शोध कार्य हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति 'भारिया' जिसकी निवास स्थलीय छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड पातालकोट क्षेत्र के 10 गाँव में हैं, का चयन किया गया जिसमें 230 शाला जाने वाली एवं शालात्यागी बालक–बालिकाओं का चयन किया गया हैं। अध्ययन हेतु आवश्यक उपकरण के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं एवं ऑकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण एवं प्रतिशत विधि से किया गया हैं।

प्रस्तुत अध्याय में संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष दिये जा रहे हैं ये निष्कर्ष दो प्रकार के हैं एक तो वे जो शुद्ध प्रदत्तों से प्राप्त हुए हैं, और दूसरे वे जो प्रदत्तों के पीछे छिपी हुई मानवीय स्थितियों के चिन्तन एवं मनन से निकले हैं। इन निष्कर्षो की अपनी सीमायें हैं जिनका अध्ययन के उद्देश्यों और न्यायदर्श को ध्यान में रख कर परीक्षण किया गया हैं।

छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड पातालकोट क्षेत्र के 10 गाँव में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के 6 से 14 आयु वर्ग के सर्व शिक्षा अभियान के हितग्राही बालक–बालिकाओं को शोध अध्ययन हेतु चयन किया गया, पाठशाला जाने वाले 115 बालक एवं 115 बालिकाओं का चयन देव निदर्शन विधि से किया गया तथा इकाई का चयन करते समय 150 अभिभावकों एवं 10 शिक्षकों का प्रतिनिधि के रूप में चयन किया गया। इस प्रकार कुल 390 उत्तरदाताओं से आकड़ें एकत्र कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

इसके साथ ही यह भी पाया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के बालक एवं बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास पर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है जिसमें पाया गया कि परिवार के आकार का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है शोध में पाया गया कि संयुक्त परिवार के भारिया बालक एवं बालिकाओं की संख्या पाठशाला त्यागने में अधिक पाई गई हैं साथ ही माता–पिता की शिक्षा का प्रभाव भी उसकें व्यक्तित्व विकास व शिक्षा प्राप्त करने की दर पर पड़ता हैं। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का प्रकार, परिवार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, व्यवसाय, परिवार का स्तर, आदि का प्रभाव भारिया बालक–बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास पर देखा गया हैं पारिवारीक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में परिर्वतन होने से व्यक्ति के जीवन स्तर व व्यक्तित्व में भी परिर्वतन होता हैं।

भारिया की समस्याओं के निदान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किये है लेकिन ये प्रयास अभी पूर्णरूप से अधिक सफल नहीं हुए हैं इनकी समस्याओं के समाधान हेतु निम्न सुझाव हैं–

भारिया जनजातियों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार के उत्कृष्ट सुझाव –

1. भारिया जनजाति की सामाजिक संरचना में सुदृढ़ीकरण हेतु सबसे पहले शैक्षणिक स्तर में सुधार करने की आवश्यकता हैं। क्योंकि शिक्षा से इन्हें जागरूक किया जा सकता हैं।
2. भारिया जनजातीय विकास के लिए ऐसे योजना विकसित करने की आवश्यकता हैं जिससे वह क्षेत्र के आस–पास निवास करने वाली अन्य विभिन्न जनजातियों एवं गैर–जनजातियों से मधुर सम्पर्क स्थापित कर सके।
3. भारिया जनजातियों के संरक्षण से ही स्थानीय जीन, पुल का संरक्षण संभव हैं। अतः इनका संरक्षण समाज की प्रशासनिक इकाई के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिए।
4. भारिया समुदाय की कला एवं सस्कृति की सुरक्षा हेतु इस समुदाय के लोगों एवं गैर सरकारी संगठनो या स्वयं सेवी संस्थाओ को आगे आना चाहिए। कला एवं संस्कृति की रक्षा हेतु समितियो के गठन की आवश्यकता हैं। एवं इन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। नई पीढ़ी में अपनी कला एवं सस्कृति के प्रति सम्मान और प्रेम जगाने की जरूरत हैं। समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न अवसरों पर किया जाना चाहिए।
5. भारिया जनजातियों में स्त्री शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत हैं। क्योंकि स्त्री शिक्षा से तीन परिवारों का निर्माण होता है जो सामाजिक संस्कारों की केन्द्रीय इकाई होती हैं।
6. पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों के लोगों में सामाजिक चेतना के लिए प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
7. पातालकोट क्षेत्र के ग्राम में समय–समय पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करानी चाहिए जिससे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सके।
8. पातालकोट क्षेत्र में सरकार को गुणवत्ता परक सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी कार्यो को लागू करवाना और प्रगति की रिपोर्ट एवं समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए।
9. भारिया समुदाय में अन्धविश्वासों को दूर करने हेतु वैज्ञानिक एवं तकनिकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। चिकित्सा सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए।
10. पातालकोट क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जानी चाहिए। भारिया जनजाति में चिकित्सा सेवा पहुचानें के लिए जगह–जगह कैम्प लगायें जाने

चाहिए। कुपोषण से रक्षा हेतु भोजन में पौष्टिक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भारिया जनजातियों की आर्थिक परिस्थिति में सुधार के उत्कृष्ट सुझाव –

1. पातालकोट क्षेत्र में कृषि योग्य असिंचित भूमि लगभग 100.684 एकड़ है जिसे सिंचित करने की व्यवस्था ग्राम अथवा ग्राम पंचायत स्तर में छोटे पैमाने पर ही क्यों न हो, पर होनी चाहिए। सिंचित भूमि अत्यधिक कम हैं जिसे क्रियान्वित करते समय इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।
2. भारिया जनजाति की निर्धनता को दूर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हेतु प्रयास करने की आवश्यकता हैं कृषि के अतिरिक्त कृषिगत कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे डेयरी मुर्गी पालन, मछली पालन और बकरी पालन से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता हैं पातालकोट क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना कर कृषि की नवीनतम जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए व समय समय पर कृषकों को कृषि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए घर में भारिया महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए ताकि निर्धनता को कम किया जा सके।

अध्ययन में पाया गया हैं कि इनकी आय कम और व्यय अधिक हैं जिससे निर्धनता की स्थिति बनती हैं। इनके वनोपज संग्रहण में इनके लाभांश का प्रतिशत बढ़ाने जाने का प्रयास होना चाहिए।

3. भारिया जनजाति रोजगार की तलाश में छिंदवाड़ा जिले या अन्य शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते है इससे स्प्ष्ट है कि पातालकोट क्षेत्र में रोजगार की समस्या गंभीर हैं। अतः पातालकोट क्षेत्र में ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन रोकने का प्रयास किया जाये।
4. भारिया जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने, रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। वनांचल में निवासरत होने से जहां औषधी, जड़ी बूटियों की खेती की पूर्ण सम्भावनायें हैं अतः इस द्वितीयक व्यवसाय को उनके प्राथमिक व्यवसाय से जोड़कर इसका विस्तार किया जाये तो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ इनके जीविकोपार्जन के जरियों को स्थायित्व मिल सकता हैं।
5. जंगल एवं वन उपजों की व्यवस्था एवं रख–रखाव का दायित्व भारिया जनजातियों को दिया जाना चाहिए।

6. तामिया विकासखण्ड से ही भारिया जनजाति परिवारों की समस्या समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए।
7. पातालकोट क्षेत्र में भारिया जनजाति को आसान किस्तों पर कम व्याज में बैकों से सरल प्रक्रिया में ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समुहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
8. भारिया जनजाति को आसानी से तथा समय पर कृषि के लिये डीजल पम्प, उन्नत बीज उपलब्ध कराये जावे ताकि वह फसल के समय इनका उपयोग कर सकें। ट्रेक्टर व हल तथा बैलगाड़ी के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।
9. भारिया जनजाति कृषकों को प्रदत्त खाद, बीज, पम्प व अन्य दी जाने वाली सुविधाओं का संस्था स्तर से मानीटरिंग/निरीक्षण कराया जाना चाहिये।
10. आधुनिक कृषि तकनीक का प्रत्येक भारिया जनजाति कृषक को जिले स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

भारिया जनजातियों की शैक्षणिक परिस्थिति में सुधार के उत्कृष्ट सुझाव –

1. विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया जनों की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा तामिया विकासखण्ड या पातालकोट क्षेत्र में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण संचालित किये जाने चाहिए। एवं सैद्वान्तिक और स्कूली शिक्षा के स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए।

   जिसमें आई0टी0आई0 पॉलिटेक्निक और व्यवसायिक शिक्षण संस्थान आधिक खोले जाने चाहिए। अनुदान में ऋण आसान किस्त और सरल प्रक्रिया के तहत उचित व्याज दर पर उपलब्ध कराकर स्वरोजगार हेतु भारिया युवाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए।
2. ग्राम के सभी बच्चें स्कूल एवं आंगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त कर सके इस हेतु शिक्षा सत्र के शुरुआत में पालकों को प्रेरित करने हेतु जन जागरण कार्यक्रम एवं प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
3. मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाना बनाने वाले रसोईयन को प्रतिमाह 1000 दिये जाने का प्रावधान हैं किन्तु कुछ शालाओं में रसोईयन को प्रतिमाह नियमित मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा हैं। अतः उन्हें समय पर मानदेय प्रतिमाह मिलना चाहिए।

4. पातालकोट क्षेत्र में भारिया जनजाति के बच्चों में भाषा शिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए 'अर्ली लिट्रेसी' प्रोग्राम की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि प्रारंभिक स्तर पर अधिक से अधिक चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को दी जाएँ और बच्चों की भाषायी अभिव्यक्ति के लिए चित्रों पर बातचीत कर चित्र वर्णन के साथ बच्चे अपने अनुभव जोड़ने का प्रयास कर सके।
5. जनपद पंचायतों द्वारा स्व सहायता समूहों को खाद्यान्न हेतु राशि विलंब से दी जाने के कारण इनके द्वारा सोसायटियों से उधार खाद्यान्न उठाया जाता हैं। किन्तु एक निश्चित सीमा के पश्चात् उधार खाद्यान्न न होने के स्थिति में कुछ समय के लिए इसका क्रियान्वयन बंद होने से बच्चों को खाना नहीं उपलब्ध हो पाता हैं।

   अतः राज्य सरकारों द्वारा जनपद पंचायतों की मदद से एक सुचारू व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। जिससे पातालकोट क्षेत्र की शालाओं में बच्चों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध हो सके।
6. शाला त्याग की घटना को कम करने के सुझाव शाला त्याग के लिये उत्तरदायी पारिवारिक कारकों को कम करके इस घटना को रोका जा सकता हैं। पालकों को शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
7. गांव स्तर पर आंगनबाड़ी को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए जिससे कि छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आए तथा वहां पर रह सके। इसके लिये आंगनबाड़ी को आधुनिक तकनीक से उन्नत किया जाना चाहिए।
8. विद्यालय के दूरी के संदर्भ में यह किया जा सकता है कि प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक शाला हो तथा लगभग 3 कि०मी० की दूरी पर माध्यमिक शाला हो।
9. शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदपूर्ति की जाना आवश्यक हैं।
10. शैक्षणिक कार्यक्रम योजना के सम्पादन विभाग अपने–अपने जिले के शैक्षणिक संस्थाओं की समस्त समस्याओं का विवरण अपने पास रखी जाए और उसमें प्राथमिकता तय कर उसे तत्काल उस समस्या का निदान सुनिश्चित कीजिए।
11. प्राथमिक स्तर की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में दर्ज संख्या के बदले कक्षावार शिक्षक की व्यवस्था की जाय। दर्ज संख्या की नीति को परिवर्तित कर कक्षावार की मंजूरी शासन से प्राप्त की जाय।
12. अधिकांश एकल शिक्षक व्यवस्था समाप्त कर पर्याप्त शिक्षक पूर्ति की जाय। पातालकोट क्षेत्र की शालाओं में धीमे शैक्षणिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारण उपयुक्त शिक्षकों की कमी हैं। गैर जनजातीय शिक्षकों का जनजातीय बच्चों के प्रति व्यवहार व दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम अनूकूल

होता हैं। अध्यापकों का चयन ऐसे क्षेत्रों के लिये किया जाना चाहिए जो या तो उन्हीं जनजातियों से हों या उन जनजातियों के निकटस्थ समाज से हो जो उन क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक समझ सकें और उनका निराकरण शिक्षण के माध्यम से कर सकें।

13. अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में साज–सज्जा का अभाव तथा स्टेशनरी की कमी रहती हैं, उसे दूर कर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं में साज–सज्जा और स्टेशनरी प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाय।

14. शैक्षणिक संस्थाओं में संलग्न कर्मचारियों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागों योजनाओं के क्रियान्वयन योजना में लम्बे समय तक उनकी सेवाऐं न ली जाए।

15. पातालकोट क्षेत्र में छात्र/छात्राओं की वृद्धि के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालय रखी जाये।

16. अधिकांश शैक्षणिक संस्थाओं में पेयजल व्यवस्था नहीं हैं। ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं का चिन्हांकित कर पेयजल व्यवस्था की व्यय आदि की नल–जल योजना अथवा हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाये।

17. पातालकोट क्षेत्र प्राथमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं की चार दीवारी अथवा बाउंडरी बाल नहीं होती है ऐसी संस्थाओं में चार दीवारी अथवा बाउंडरी बाल बनाया जाये।

18. प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया जाये।

19. भारिया जनजातीय समाज अभी भी शिक्षा के प्रति उचित अभिवृत्ति का निर्माण नहीं कर पाया है उन्हें शिक्षा हेतु पूरी तरह से तैयार करने हेतु उनमें शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न करानी होगी। इसके लिए दूर संचार एवं मनोरंजन के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध हो सकती हैं। इन साधनों की सहायता से सर्वप्रथम उन्हें शिक्षा हेतु तैयार किया जाना चाहिए।

20. पातालकोट क्षेत्र के भारिया जनजाति के बालक–बालिकाओं को और अधिक सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिये साथ ही इनकी उच्च शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क कर देनी चाहियैं

विद्यालय में अध्ययनरत भारिया बच्चों के द्वारा दिये गये सुझाव –

1. मुख्य विषयों गणित व अंग्रेजी पर अतिरिक्त व विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। कम्प्यूटर विषय को ले कर बच्चों में जिज्ञासा का भाव, सिखने की लालसा एवं वर्तमान समय में कम्प्यूटर की उपयोगिता के चलते इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं।
2. शिक्षक समय पर आवें व पूरा एक घंटा पढ़ाये।
3. सहायक सामग्री के उपयोग से समझने में आसानी होती हैं, अतः अधिकाधिक सहायक सामग्री– सिजमें दृश्य–श्रव्य, कम्प्यूटर सी.डी. आदि भी का उपयोग हो।
4. समय–समय पर विषय से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा अध्यापन कार्य होना चाहिए।
5. शालाओं के बच्चों को खाना समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना चाहिए। एवं किचन शेडों में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न होनी चाहिए।
6. पातालकोट क्षेत्र के छात्रावास/आश्रम में आऊटडोर खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. पातालकोट क्षेत्र के छात्रावास/आश्रम में विद्युत व्यवस्था तो हैं, ट्यूब लाईट की कमी हैं। अतः पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।
8. पातालकोट क्षेत्र की शालाओं में अधीक्षक/अधीक्षिका एवं चौकीदार के लिये आवास गृह होनी चाहिए।
9. पातालकोट क्षेत्र के छात्रावास/आश्रम में छात्र/छात्राओं के लिये कोंचिग की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. पातालकोट क्षेत्र के छात्रावास/आश्रम में वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. पातालकोट क्षेत्र के अनेकों छात्रावास/आश्रमों में छात्र/छात्राओं के लिये प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए।
12. पातालकोट क्षेत्र के छात्रावास/आश्रमों में छात्र/छात्राओं की अपने स्वयं का सामान रखने के लिये आलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए।

भारिया जनजातियों विकास के लिए प्रशासनिक सुझाव –

1. पातालकोट क्षेत्र में सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सशक्त कानून बनाये जाने चाहिए तथा उनका कढ़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के ऊपर जिम्मेदारी निश्चित कर देनी चाहिए तथा निर्धारित समय पर पूरा न करने पर जुर्माना आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारिया जनजाति को भी जागरूक करने की आवश्यकता हैं। सभी कार्यालयों को इन्टरनेट से जोड़ पारदर्शी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

2. प्रशासन द्वारा कठोर आचार संहित को लागू किया जाना चाहिए। प्रलोभन लालच और शराब पिलाने वाले दल या प्रत्याशी पर आवश्यक कार्यवाही का अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक शिक्षा हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम पातालकोट क्षेत्र में चलाया जा जाना चाहिए।
3. भारिया जनजातीय विकास योजनाओं के सूत्रीकरण कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं में पातालकोट के भारिया जनजातीय समुदायों की सहभागिता होनी चाहिए।
4. भारिया जनजातीय विकास के पैमानों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक पैमाना को भी शामिल किया जाना चाहिए।
5. पातालकोट क्षेत्र में सरकारी अनुदानों का दुरूपयोग भी देखने में आया हैं। सुविधाओं का लाभ भारिया जनजातीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा संगठन के लोग अधिक ले रहे हैं, कुछ ने इसे रोजी–रोटी का साधन भी बना लिया हैं। इस प्रकार सरकारी मशीनरी का भ्रष्टाचार इन संगठनों में भी प्रवेश कर रहा हैं जिसे रोका जाना चाहिए। साथ ही इन संगठनों में भाई–भतीजावाद भी कहीं–कहीं दिखाई पड़ा हैं।
6. अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों के लिए बने अन्य विशेष अधिनियमों एवं नियमों को भी सही ढंग से लागू करना होगा एवं इन सभी उपयुक्त कार्यों की निगरानी आदिवासी मंत्रणा परिषद् द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

मार्गदर्शी सिद्धान्त –

- तामिया विकासखण्ड के पातालकोट घाटी क्षेत्र में स्कूल, चिकित्सालय, रोजगार, संचार आदि की समुचित व्यवस्था नीति नियोजकों एवं राज्य सरकार को करनी होगी, अन्यथा ये विशाल प्राकृतिक सुंदरता और अंदरूनी रहस्यवादी दुनिया की वजह से विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बीरान और साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति 'भारिया' समाप्त हो जायेंगी। अतः पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति समुदाय की जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण मानवीय सुख–सुविधाओं (बिजली, पेयजल, चिकित्सालय, परिवहन मार्ग, रोजगार इत्यादि) की कमी होना हैं। इसलिए यहाँ के सम्पूर्ण विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस प्रदेश विशेष के लिए नियोजित ढंग से ''पर्वतीय विकास नीति'' (Mountain Development Policy) का निर्माण करना होगा जो तराई एवं मैदानी क्षेत्रों की नीतियों से भिन्न हो।
- पिछड़ी भारिया जनजाति के लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उन पर कोई चीज थोपने से बचना चाहिए। हमें हर तरह से

उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपनी परंपरागत कलाओं और संस्कृति का संवर्धन कर सके।

- भूमि और वनों से संबंधित जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत की संसद द्वारा 18 सितम्बर, 2006 को अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 पारित हो पाया था। संसद द्वारा पारित होने के बाद अधिनियम की नियमावली बनाने व इसको अधिसूचित करने में एक साल लगा। 1 जनवरी, 2008 को यह अधिनियम अधिसूचित होने के साथ पूरे देश में लागू हो गया। जो वन भूमि में हो, को मान्यता एवं अधिकार देना व उनको एक ऐसा अनुसूचित जनजाति के अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियमावली के अधिसूचित होने के बाद इसको लागू करने के संघर्ष और भी महत्त्वपूर्ण हो गया हैं। यह संघर्ष इसलिए भी किया जाना जरूरी हैं क्योंकि यह अधिनियम राज्य की दृष्टि व नीति में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाता है तथा राज्य व जंगलात द्वारा अतिक्रमणकारी समझे जाने वाले ग्रामवासियों, वनवासियों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस नजरिये से यह अधिनियम पूर्व के अधिनियमों से अलग तथा ऐतिहासिक है। मध्यप्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिनियम को राज्य के अनुरूप लागू करें।
- हमें उनके अपने लोगों (आदिवासी/जनजाति) की एक टीम बनाने और उसे प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे प्रशासन और विकास के कार्य कर सकें। बाहर के कुछ तकनीकी कार्मिक, विशेष कर शुरू में, निश्चित रूप से आवश्य होंगे, लेकिन हमें जनजातीय क्षेत्र में बाहर के बहुत अधिक लोगों को शामिल करने से बचना चाहिए।
- हमें मध्यप्रदेश के आदिवासी/जनजाति क्षेत्रों को अति–प्रशासित या अधिसंख्य कार्यक्रमों से सराबोर नहीं करना चाहिए। हमें उनके स्वयं के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से काम करना चाहिए न कि उनकी प्रतिद्वंदिता के साथ।
- मध्यप्रदेश सरकार आगामी वर्षों के लिए ऐसी गतिविधि एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित है, जिससे राज्य से निरक्षरता मिटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में कारगर सिद्ध हो।
- राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं उत्साहपूर्वक हैं। पर इनकों अैर भी सुदृढ़ बनाने के लिए अगर नैतिक शिक्षा का विषय भी पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए तो आदिवासी/जनजाति छात्र एवं छात्राएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि इससे उनका

चरित्र–निर्माण भी होगा। अतः शिक्षा को इस तरह रचनात्मक और व्यावहारिक बनाएं कि किसी भी आदिवासी/जनजाति छात्र को आगे चलकर बेरोजगारी का शिकारी न होना पड़े।

- प्रदेश का कल्याण तभी संभव है जबकि प्रत्येक आदिवासी/जनजाति (प्रदेशवासी) शिक्षित हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने इस ओर पहल की है, पर इस सपने को साकार करने के लिए जरूरत हैं। जन–जन के सहयोग की।

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि भारिया जनजाति के जो बालक–बालिकाएँ सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हैं उससे सम्बन्धित योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनके व्यक्तित्व में काफी परिवर्तन आ रहा हैं एवं सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं का लाभ उठाकर वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बड़ते जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्हे कई सुविधाएँ भी मिल रही हैं जिनका उपयोग कर आर्थिक मदद प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित हो रहे हैं। इस अभियान के अन्तर्गत कई गुणवत्ता विस्तार कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जो भारिया बालक–बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होगें।

****